भारत में एक साथ चुनाव

16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि बार-बार होने वाले चुनाव, सुधारों में बाधा डालते हैं और इसके समाधान के रूप में **एक साथ चुनाव (Simultaneous Elections)** का प्रस्ताव रखा।

> एक साथ चुनाव को प्रभावी बनाने के लिये **संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024** और **केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2024** पेश किये गए।

एक साथ चुनावों की आवश्यकता

- **शासन में स्थिरता:** विकास और नीतियों के क्रियान्वयन पर ध्यान, साथ ही बार-बार होने वाले चुनावों का खर्च घटेगा।
- **नीतिगत गतिरोध से बचाव:** लंबी अवधि तक आचार संहिता (MCC) लागू होने से बचकर नीति निरंतरता सुनिश्चित होगी।
- **निर्वाचन व्यस्तता में कमी:** चुनावों की बारंबारता से बचकर दल जनकल्याणकारी कार्यों पर ध्यान देंगे।
- **संसाधन संरक्षण:** चुनाव अधिकारियों और संसाधनों के बार-बार परिनियोजन से बचा जा सकेगा।
- **राजनीतिक अवसर:** नए उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, वर्चस्व और प्रभुत्व में कमी होगी।

चुनौतियाँ

- **वृहद पैमाना**: 96 करोड़ मतदाताओं, 10 लाख मतदान केंद्र, सुरक्षा बलों के मूवमेंट तथा प्रशिक्षण की चुनौती।
- **तकनीकी संसाधनों की मांग**: अधिक ईवीएम (EVM) और वीवीपैट (VVPAT) मशीनें तथा विश्वसनीय बैकअप प्रणाली की आवश्यकता।
- **संघीय ढाँचे पर असर**: राज्यों की विधानसभा अवधि में परिवर्तन से संघीय भावना कमज़ोर हो सकती है।
- **जन-निगरानी में कमी**: चुनावों की संख्या घटने से सरकार की जवाबदेही पर असर।
- **संवैधानिक जटिलताएँ**: आवश्यक संशोधन एवं नई प्रक्रियाओं को न्यायालयी चुनौती का सामना करन पड़ सकता है।

सुझाव

- **स्पष्ट प्रक्रिया व संशोधन**: समयपूर्व विघटन और उपचुनावों के समाधान हेतु प्रक्रिया, कार्यक्रम और संवैधानिक संशोधनों में स्पष्टता हो।
- **एकीकृत मतदाता सूची**: ईवीएम और वीवीपैट का उन्नयन, मतदाता सत्यापन व परिणाम प्रबंधन हेतु तकनीकी उपयोग।
- **जन-जागरूकता अभियान**: NGOs और सामुदायिक संगठनों के माध्यम से राष्ट्रव्यापी जागरूकता।
- **प्रशिक्षण**: अधिकारियों को नई तकनीक और प्रक्रियाओं का समुचित प्रशिक्षण।
- चक्र संरेखण: राज्य चुनावों को आगे या पीछे करके लोकसभा चुनावों से जोड़ना।

'वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ' के रूप में भारत की भूमिका

भारत के विदेश मंत्री ने वैश्विक दक्षिण के देशों की बैठक आयोजित की, जिसका उद्देश्य एकजुटता को मजबूती प्रदान करना है ताकि संयुक्त राष्ट्र में सुधारों की मांग को सशक्त रूप से पेश किया जा सके।

'वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ' के रूप में भारत की भूमिका

- उत्तर और दक्षिण के बीच मध्यस्थता करता है, वैश्विक शासन में समावेशिता की वकालत करता है।
  - **G20 (2023)**: में अफ्रीकी संघ को स्थायी सदस्य बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका।

- विकासशील देशों की अभिव्यक्ति को प्रतिबिंबित करने के लिये **UNSC, WB और IMF** में सुधारों की पैरवी करता है।
- **मिशन LiFE, ISA और ग्रीन हाइड्रोजन मिशन** के क्षेत्र में प्रमुख नेतृत्वकर्त्ता।
- **आधार और UPI** प्रणाली के माध्यम से DPI में वैश्विक नेतृत्व।
- संकटों पर प्रतिक्रिया: **ऑपरेशन दोस्त (तुर्की)** और **ऑपरेशन कावेरी (सूडान)**।
- पश्चिमी देशों और वैश्विक दक्षिण दोनों से जुड़ा है, किंतु किसी गुट में शामिल नहीं है।

वैश्विक दक्षिण की चिंताएँ

- **UNSC, IMF और WB** का शासन विकसित देशों के पक्ष में है, जिससे वैश्विक दक्षिण के देश पीछे रह जाते हैं।
- **WTO विवाद** अनसुलझे हैं; संरक्षणवाद और **ग्रीन टैक्स** विकासशील अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करते हैं।
- **जलवायु परिवर्तन** से वैश्विक दक्षिण सबसे अधिक प्रभावित है, जलवायु वित्त और पर्याप्त समर्थन में विलंब।
- भू-राजनीतिक तनाव **आपूर्ति शृंखलाओं को बाधित** करते हैं, संवेदनशील देशों को प्रतिबंध और कमी का सामना करना पड़ता है।
- **कोविड-19 और मुद्रास्फीति** ने बाह्य ऋण और आर्थिक संवेदनशीलता में वृद्धि की है।
- **यूएस-चीन या यूएस-रूस** प्रतिद्वंद्विता में पक्ष चुनने का दबाव, स्वायत्तता को क्षीण करता है।
- मानवाधिकारों की चयनात्मक पैरवी और आंतरिक मामलों में बाहरी हस्तक्षेप।

दक्षणी देशों के मध्य सहयोग (SSC) के पूरक पहलू	SSC के चुनौतीपूर्ण पहलू
• वित्त, तकनीक और क्षमता के अंतराल को दूर करता है (जैसे **इंडिया-UN डेवलपमेंट पार्टनरशिप फंड**।	• दक्षिण-दक्षिण व्यापार में वृद्धि **(इंडिया-आसियान)** उत्तर के वर्चस्व को चुनौती देती है।
• संदर्भ-विशिष्ट, धारणीय समाधान प्रदान करता है (जैसे **अफ्रीका में ब्राज़ीलियाई तकनीक)**।	• SSC गैर-शर्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे पश्चिमी प्रभाव का मुकाबला होता है।
• उत्तरी देशों के साथ सहयोग करता है (जैसे **लातनी अमेरिका में चीन-FAO परियोजनाएँ)**।	• उच्च-तकनीक निर्यात का 60% दक्षिणी देशों के बीच होता है, जिससे उत्तर पर निर्भरता कम होती है।
• कोविड-19 के दौरान **भारत की वैक्सीन कूटनीति** अंतराल को पूरा करती है।	• भारत जैसे **दक्षिणी देश (ISA)** उत्तर-नेतृत्व वाले मॉडल को चुनौती देते हैं।

वैश्विक दक्षिण की अभिव्यक्ति को सशक्त बनाने हेतु उपाय

- **सामूहिक मंचों का निर्माण**: वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट जैसे मंचों को संस्थागत रूप देना।
- **वैश्विक संस्थाओं में सुधार**: UNSC का विस्तार और IMF/विश्व बैंक में सुधार की पैरवी करना।
- **विकास हेतु वित्त**: अवसंरचना और जलवायु परियोजनाओं के लिये ग्लोबल साउथ डेवलपमेंट फंड की वकालत करना।
- **दक्षिण-दक्षिण व्यापार**: शुल्क कम करना और **एशिया-अफ्रीका विकास कॉरिडोर (AAGC)** जैसी पहलों का विस्तार करना।
- **शांति एवं सुरक्षा**: UN शांति-स्थापना और शांति निर्माण में वैश्विक दक्षिण की सक्रिय भूमिका।
- **वैश्विक साझेदारियाँ**: भारत की बहु-संरेखण रणनीति का उपयोग करके वैश्विक मंचों पर दक्षिणी देशों की चिंताओं का समाधान करना।

सतत् विकास लक्ष्य (SDG) - 3 और भारत की प्रगति

भारत **SDG सूचकांक 2025 में 99वें स्थान** पर रहा, जो वर्ष 2024 के **109वें स्थान से सुधार की स्थिति को दर्शाता है**, हालाँकि SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण) को प्राप्त करने में चुनौतियाँ अभी भी विद्यमान हैं।

SDG 3 पर भारत की स्थिति

- **मातृ स्वास्थ्य**: मातृ मृत्यु अनुपात (MMR) प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर 97 मृत्यु है, जबकि लक्ष्य 70 है।
- **बाल मृत्यु**: पाँच वर्ष से कम आयु के बच्चों की मृत्यु दर 1,000 जीवित जन्मों पर 32 है, जबकि लक्ष्य 25 है।
- **जीवन प्रत्याशा**: औसत जीवन प्रत्याशा वर्तमान में 70 वर्ष है, जो 73.63 वर्ष के लक्ष्य से कम है।
- **वित्तीय बोझ**: स्वास्थ्य पर अतिरिक्त व्यक्तिगत व्यय (Out-of-Pocket) 13% है, जो लक्ष्य 7.83% से लगभग दोगुना है।
- **टीकाकरण**: टीकाकरण कवरेज 93.23% है, जो 100% लक्ष्य से कम है।

SDG- 3 लक्ष्यों को प्राप्त करने में अंतराल के कारण	सुझाव
• **पहुँच संबंधी समस्याएँ:** अपर्याप्त स्वास्थ्य अवसंरचना एवं आर्थिक बाधाएँ पहुँच संबंधी समस्याओं को व्यापक बनाती हैं। • **गैर-आर्थिक कारक:** अनुचित पोषण, अपर्याप्त स्वच्छता एवं अस्वस्थ जीवनशैली से रोगभार में वृद्धि। • **सामाजिक-सांस्कृतिक अवरोध:** सांस्कृतिक प्रथाएँ एवं पूर्वाग्रह, विशेषकर मानसिक एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की पहुँच को बाधित करते हैं। • **रोगभार:** संक्रामक रोगों की निरंतरता एवं असंक्रामक रोगों (NCDs) की वृद्धि से स्वास्थ्य प्रणाली पर दबाव। • **कोविड-19:** संसाधनों के स्थानांतरण से जाँच में देरी, उपचार में व्यवधान, संस्थागत प्रसव में कमी तथा टीकाकरण कवरेज में गिरावट।	• **सार्वभौमिक स्वास्थ्य बीमा:** व्यक्तिगत स्वास्थ्य व्यय कम करने एवं स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच बढ़ाने हेतु लागू किया जाए। • **प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र एवं डिजिटल स्वास्थ्य:** प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHCs) को सुदृढ़ किया जाए तथा दूरदराज़ क्षेत्रों तक टेलीमेडिसिन का प्रयोग बढ़ाया जाए। • **विद्यालयी स्वास्थ्य शिक्षा:** विद्यालय स्तर पर पोषण, स्वच्छता, प्रजनन स्वास्थ्य एवं मानसिक स्वास्थ्य पर शिक्षा दी जाए (फिनलैंड एवं जापान जैसे मॉडल)। • **स्थानीय निकायों का सशक्तीकरण:** पंचायत राज संस्थानों (PRIs) एवं शहरी स्थानीय निकायों (ULBs) को स्वास्थ्य पहलों के प्रबंधन एवं लेखा-परीक्षण की ज़िम्मेदारी दी जाए। • **योजनाओं में गति:** आयुष्मान भारत, पोषण अभियान, मिशन इंद्रधनुष एवं लक्ष्य कार्यक्रम के कार्यान्वयन में गति लाई जाए।

माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)

केंद्रीय वित्त मंत्री ने **कर विवादों के समाधान को सुगम बनाने एवं भारत की अप्रत्यक्ष कर प्रणाली में विश्वास को दृढ़ करने के उद्देश्य से माल एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (GSTAT)** का औपचारिक शुभारंभ किया।

GSTAT

- **स्थापना:** केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 के अंतर्गत।
- **उद्देश्य:** अपीलीय अथवा पुनरीक्षण प्राधिकरणों के आदेशों के विरुद्ध अपील सुनना।
- **लक्ष्य:** पूरे भारत में जीएसटी विवादों के लिये एकीकृत एवं स्वतंत्र अपीलीय तंत्र प्रदान करना (*"वन नेशन, वन फोरम"*), विवादों का समयबद्ध निपटारा करना, विधिक जटिलताओं को न्यूनतम करना एवं व्यवसायिक निश्चितता को प्रोत्साहित करना।
- **प्रमुख बिंदु:**
  - न्यायाधिकरण नई दिल्ली में एक प्रधान पीठ और भारत में 45 स्थानों पर 31 राज्य पीठों के माध्यम से कार्य करेगा।
  - प्रत्येक पीठ में दो न्यायिक सदस्य, एक तकनीकी सदस्य (केंद्र) और एक तकनीकी सदस्य (राज्य) शामिल होंगे।
  - संरचना, पैमाना, तालमेल (विशेषज्ञता, तकनीक और प्रक्रियाओं के मध्य समन्वय) पर मुख्य फोकस होगा।
  - ई-कोर्ट्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन फाइलिंग, केस ट्रैकिंग और वर्चुअल सुनवाई की सुविधा।
- **लाभ:**
  - समयबद्ध न्याय के माध्यम से करदाताओं के अधिकारों की रक्षा।
  - इसके माध्यम से विधिक अस्पष्टता को कम किया जा सकेगा एवं समग्र भारत में एकरूपता सुनिश्चित होगी।
  - MSME, निर्यातकों और स्टार्टअप्स के लिये अनुपालन सुगम होगा।

कतर UPI प्रणाली को अपनाने वाला 8वाँ देश बना

भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने कतर में **UPI प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु कतर नेशनल बैंक (QNB)** के साथ साझेदारी की है। जिसके साथ ही **कतर भूटान, फ्राँस, मॉरीशस, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका और संयुक्त अरब अमीरात के बाद UPI को** अपनाने वाला आठवाँ देश बन गया है।

- कतर आने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों में भारतीय समुदाय दूसरा सबसे बड़ा समूह है; UPI के अनुपालन से नकदी की आवश्यकता कम हो जाएगी तथा मुद्रा विनिमय संबंधी परेशानियाँ को समाप्त किया जा सकेगा।
- **NPCI** द्वारा विकसित भारत की **UPI प्रणाली** एक अग्रणी डिजिटल भुगतान प्रणाली है, जो **रियल-टाइम, सुरक्षित और कम लागत वाले लेनदेन की सुविधा प्रदान करती है।**
- UPI **तत्काल भुगतान सेवा (IMPS)** पर आधारित है और **आधार सक्षम भुगतान प्रणाली (AePS)** को एकीकृत करता है।

न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड

भारत आगामी परमाणु ऊर्जा विधेयक के तहत एक **न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड** स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसका उद्देश्य **परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 और परमाणुवीय नुकसान के लिये सिविल दायित्व अधिनियम (CLNDA), 2010** के कुछ पहलुओं में संशोधन करना है।

- भारत में **परमाणु ऊर्जा का विद्युत उत्पादन में 3% से कम** हिस्सा है, किंतु देश 2047 तक इसकी क्षमता को **12 गुना बढ़ाने** का लक्ष्य रखता है।
- पूर्व के कानूनों ने निवेश को हतोत्साहित किया, क्योंकि **आपूर्तिकर्त्ताओं की जवाबदेही असीमित होती थी** और 2015 के न्यूक्लियर इंश्योरेंस पूल में **कानूनी निश्चितता की कमी** थी।
- प्रस्तावित न्यूक्लियर लाइबिलिटी फंड **1,500 करोड़ रुपये से अधिक दुर्घटना मुआवजे को कवर** करता है, जो ऑपरेटर की ज़िम्मेदारी को पूरक करता है।

CLNDA, 2010

- परमाणु दुर्घटना के पीड़ितों के लिये मुआवजे को सुनिश्चित करता है और ऑपरेटर की ज़िम्मेदारी को परिभाषित करता है; **सप्लीमेंटरी कॉम्पेन्सेशन कन्वेंशन (CSC, 1997)** के अनुरूप, जिसे भारत ने 2016 में अनुमोदित किया।
- ऑपरेटरों पर नो-फॉल्ट उत्तरदायित्व सख्ती से लागू करता है, जिसकी सीमा 1,500 करोड़ रुपये तक है। इसके ऊपर के दावे सरकार द्वारा कवर किये जाते हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी 300 मिलियन विशेष ड्रॉइंग राइट्स (SDRs) के समकक्ष रुपये तक सीमित है।
- अधिनियम के तहत, **न्यूक्लियर डैमेज क्लेम्स कमीशन** उचित मुआवजे को सुनिश्चित करता है।

- यह **संरचित ढाँचा** प्रदान करता है, जिससे **निजी और विदेशी निवेशकों** के लिये परमाणु ऊर्जा एवं यूरेनियम खनन में जोखिम कम होता है।